DFA 7/2/2018

निविदा प्रपत्र (दर संविदा)

मिनी बस/इनोवा/क्वालीस/टवेरा/तुफान/इण्डिगो/स्वीफ्ट डिजायर/इण्डिका कार डीजल किराये हेतु वार्षिक अनुबन्ध पर दर संविदा

(1) निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम ....
डाक का पूर्ण पता ....
....
....................................टेलीफोन नं. ....मोबाईल नं. ....

(2) किसको संबोधित किया गया - **कुल सचिव, डॉ. स. रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।**

(3) संदर्भ- निविदा सूचना क्र.प.05/रा.आ.वि./जोध./लेखा/17-18/.......... दिनांक ....

(4) निविदा शुल्क राशि **रु. 200/-(अक्षरे रुपये दो सौ मात्र)** रसीद संख्या............................
दिनांक............................के द्वारा जमा करा दी गई है।

(5) मैं/हम कुल सचिव डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी निविदा सूचना क्र.प.05/रा.आ.वि./जोध./लेखा/17-18/..........दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न सीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिए है।)

(6) **Name A work :- डीजल मिनी बस एवं कारें किराये हेतु दर संविदा।**
निविदादाता अपनी दरें निम्न में अंकित करें।

(अ) स्थानीय चलन हेतु दरें

क्र. सं.	वाहन मैक	प्रतिदिन किमी. चलन	दर ए.सी. हेतु	दर नॉन ए.सी. हेतु
1	मिनी बस 22 सीटर			
2	इनोवा/टवेरा			
3	इंडिगो/स्वीफ्ट डिजायर			
4	बोलेरो			

(ब) जोधपुर से बाहर चलाने पर दरें

क्र. सं.	वाहन मैक	प्रतिदिन किमी. चलन	दर ए.सी. प्रति किमी. हेतु	दर नॉन ए.सी. प्रति किमी. हेतु
1	मिनी बस 22 सीटर			
2	इनोवा/टवेरा	300 किमी.		
3	इंडिगो/स्वीफ्ट डिजायर	300 किमी.		
4	बोलेरो			

(7) वाहन चालकों के नाम व पूर्ण पता के विवरण संलग्न करें। निविदा के साथ विवरण संलग्न नहीं होने पर निविदा स्वीकृत होने पर यह विवरण प्रेषित करना होगा।

(8) वाहन चालकों के लाईसेंस नं. एवं वैधता तिथि (छाया प्रति संलग्न करें) के विवरण संलग्न करें। निविदा के साथ विवरण संलग्न नहीं होने पर निविदा स्वीकृत होने पर यह विवरण प्रेषित करना होगा।

(9) धरोहर राशि रुपये 10,000/-(अक्षरे रुपये दस हजार) मात्र डी.डी.संख्या............दिनांक................ द्वारा जमा करवाए गये है।

(10) विशेष विवरण :-

1. वाहन का मॉडल वर्ष 2014 अथवा इसके पश्चात् का होना चाहिए।
2. केवल वाहन स्वामी ही निविदा प्रस्तुत कर सकते है। वाहन की स्वामित्व की पुष्टि में वाहन पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें।
3. प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिये अलग-अलग दर अंकित करें।
4. निविदा प्रपत्र पर ही निविदा मान्य होगी।
5. निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करके भरी गयी हो तो निविदा शुल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा शुल्क/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने हेतु अद्योहस्ताकर्ता सक्षम अधिकारी होगें।

10. निविदा दिनांक 24.10.17 को दोपहर 3.00 बजे तक बेची जाकर उसी दिन दोपहर 3.30 बजे तक प्राप्त की उपस्थित निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। प्राप्त करने व खोलने की दिनांक का राजकीय या अन्य अवकाश होने पर निविदायें आगामी कार्य दिवस को उसी समय तक प्राप्त की एवं खोली जावेगी।
11. वाहनों को विश्वविद्यालय की मांग अनुसार उपलब्ध कराना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

मिनी बस/इनोवा/क्वालीस/टवेरा/तुफान/इण्डिगो/स्वीफ्ट डिजायर/इण्डिका कार डीजल किराये पर अनुबंधित करने सम्बंधी शर्तें

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये निर्धारित निविदा पत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदादाता निविदा की शर्तों को ध्यान से पढ़े तथा स्वीकारोक्ति के लिये प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर करें।
3. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि कोई कटिंग हो तो दरों का स्पष्ट उल्लेख करें, कटिंग एवं ओवरराईटिंग पर लघु हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
4. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार के संशोधन के साथ दी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा देने वाली फर्म द्वारा निम्न सूचना टेण्डर फार्म के साथ पृथक से संलग्न की जावें:
   अ. यदि एकल स्वामित्व की है,तो स्वामी का पूर्ण नाम,कार्यालय एवं निवास क पूर्ण पता
   ब. यदि भागीदारी फर्म है तो, भागीदारी डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के पूर्ण नाम एवं पते।
   स. यदि लिमिटेंड कम्पनी है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति तथा पॉवर ऑफ एटोरनी की प्रति संलग्न करें तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम व पूर्ण पते। (निविदा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही भरी जावेगी)
6. निविदा मे निविदादाता द्वारा लाभ के लिये यदि जान-बूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा एवं ऐसी निविदा को विश्वविद्यालय किसी भी स्तर एवं समय पर निरस्त करने के लिये अधिकृत होगा एवं जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
7. निविदा फार्म में अंकित दस्तावेज/विश्वविद्यालय के मांगें जाने पर मूल रुप से प्रस्तुत करने होगें।
8. कुल सचिव, विश्वविद्यालय समस्त/किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने को अधिकृत होंगे। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस बारे में विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का हर्जाना भी नहीं मांगा जा सकेगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ऐसा करने पर विश्वविद्यालय किसी भी निविदादाता को कोई कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
10. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को निर्धारित प्रारुप में 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पर करार पत्र आदेश प्राप्त होने से 7 दिवस के अन्दर निष्पादित करना होगा।
11. निविदा स्वीकार होने की दशा में विश्वविद्यालय के साथ फर्म के होने वाले कॉन्ट्रेक्ट की पालना के लिये निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
12. निविदा स्वीकृति होने पर निविदादाता कार्य का भाग/हिस्से या सम्पूर्ण कार्य का किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
13. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को एक वर्ष में देय किराये की राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रुप में नकद/डी.डी. द्वारा निविदा के स्वीकार करने की तिथि से एक माह में जमा करवानी होगी जिस पर ब्याज देय नहीं होगा। निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाई गई धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किया जाकर शेष राशि प्रतिभूति राशि के रुप में जमा करवानी होगी।
14. स्वीकृत निविदादाता, अनुबंध के अन्तर्गत स्वयं के कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों एवं कार्य के दौरान उत्पन्न जोखिम एवं हानियों की क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी होगा। कुल सचिव, विश्वविद्यालय का इस बारे में कोई उत्तरदायित्व किसी भी स्तर पर नहीं होगा।
15. वाहन पर बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जायेगा। वाहन चालक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटना हो जाती है, या उसके कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों को चोट लग जाती है अथवा मृत्यु हो जाती है तो उसका क्षतिपूर्ति या अन्य दायित्व पूर्ण रूप से स्वयं निविदादाता

का होगा। विश्वविद्यालय का कोई दायित्व मान्य नहीं होगा। इसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा 24 घण्टे में इस कार्यालय को देनी होगी।

16. वाहन की प्रतिदिन के आधार पर लॉग बुक संधारित की जावेगी तथा इसके इन्द्राज का प्रमाणिकरण प्रयोगकर्ता अधिकारी से कराया जायेगा। बिल का भुगतान प्रत्येक आदेश के अनुक्रम में किया जावेगा। कार्य की समाप्ति पर अनुबंधक बिल कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा। भुगतान के लिये लॉग बुक की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

17. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया निकाली जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता द्वारा की जायेगी,नहीं किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय में जमा प्रतिभूति राशि से कटौती की जायेगी अथवा देय राशि नकद जमा करानी होगी।

18. वाहन सम्पूर्ण निविदा अवधि के लिये पंजीकृत, कम्प्रीहैंसिव बीमा, फिटनेस व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज टैक्सी परमिट से कवर्ड़ आदि से ही पूर्ण होगी एवं स्वीकृत निविदादाता को ऐसे वाहन के कागजात की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा स्वीकृत होने पर कार्यालय में देनी होगी। इसके पश्चात् ही वाहन का उपयोग आरंभ किया जायेगा। इनका नवीनीकरण समय पर कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।

19. वाहन किराये पर अनुबन्धित करते समय आपूर्तिकर्त्ता के अनुभव एवं नवीन मॉडल को प्राथमिकता दी जावेगी तथा वाहन का मॉडल वर्ष 2012 एवं उसके बाद का होना चाहिए।

20. वाहन के रख-रखाव एवं चलन व्यय में मजदूरी/पर्यवेक्षण व्यय, स्पेयर पार्टस के मूल्य औजार, पी ओ एल, स्टाफ कार्यालय एवं वाहनों के लिये आवश्यक भवन कार्यरत स्टाफ आदि का पारिश्रमिक सभी किरायें की दरों में सम्मिलित होंगे। अनुबंध के दौरान इन आईटम की दरों में वृद्धि होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा किराया राशि में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी। किराया दरों में अनुबंध अवधि तक कोई परिवर्तन/वृद्धि को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

21. निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवायें वाहन किराये पर लेने वाले अधिकारी के अनुसार संतो-जनक होनी चाहिये।

22. निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं करायें जाने अथवा वाहन मे यदि कोई खराबी अधिकृत अधिकारी द्वारा इंगित की जाती है तो उसे निविदादाता द्वारा ठीक करवाया जावेगा। यदि वाहन मरम्मत योग्य नहीं होगा तो इस प्रकार के वाहन का अन्य वाहन से तुरन्त प्रतिस्थापित करना होगा। वाहन प्रतिस्थापित नहीं करने पर वाहन की प्रतिदिन देय राशि की अनुपातिक राशि की गणना की जाकर दुगनी राशि की कटौति कर भुगतान किया जायेगा तथा कुल सचिव या उनके अधिकृत प्रतिनिधि अन्य वाहन की सेवायें ले सकते है, जो कि निविदादाता के खर्चे एवं जोखिम पर होगा एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली निविदादाता द्वारा जमा करायी गई प्रतिभूति की राशि अथवा अन्य राशि से करने हेतु विश्वविद्यालय अधिकृत होगा। उक्त राशि नहीं होने पर नकद राशि जमा करानी होगी।

23. यदि निविदादाता का स्टाफ कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुपयुक्त पाया जाता है तो निविदादाता द्वारा ऐसे स्टाफ के स्थान पर अन्य उपयुक्त स्टाफ तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

24. विश्वविद्यालय को आपूर्ति किये जाने वाले वाहन अच्छी कण्डीशन का होना चाहिए। वाहन के खराब होने या सन्तोषजनक सेवा नहीं देने पर वाहन का प्रतिस्थापन उपरोक्तानुसार नये व सही स्थिति के वाहन से तत्काल किया जाना होगा। यदि इसमें विलम्ब होता है तो उसकी रिस्क एवं कॉस्ट पर अन्य से वाहन किराये पर लिया जा सकता है।

25. किसी भी समय कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्पीड मीटर एवं किलोमीटर रिकार्डर की जॉच की जा सकती है। अतः दोनों यंत्रों की परिशुद्धता उच्च कोटी की होनी चाहिये स्पीडोमीटर कार्यरत स्थिति में होना चाहिए यदि किसी माह में स्पीडोमीटर कार्य नहीं कर रहा हो तो केवल न्यूनतम किराया देय होगा।

26. वाहन चालक सम्बंधित वाहन के चलाने के लिये उपयुक्त लाईसेंस धारी होना चाहिए।

27. स्थानीय नियमों, जिसमें श्रमिक कानून भी सम्मिलित है, की पालना का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

28. वाहन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराते समय सही एवं चालू हालात में होनी चाहिये। वाहन में पेट्रोल, डीजल, ऑयल पूर्ण होना चाहिये। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी होने पर वाहन को विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग में नहीं लिया जायेगा एवं किसी भी प्रकार के भुगतान के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

29. कि.मी. यंत्र जांच के उपरान्त ही वाहन को विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग में लिया जायेगा। वाहन का उपयोग पूर्ण होने पर कि.मी. की जांच की जावेगी तथा कि.मी. का प्रमाणीकरण उपभोगकर्त्ता अधिकारी से कराया जावेगा।

30. अनुबंधकर्ता द्वारा दरें एक वर्ष के अनुबन्ध के लिये दी जायेगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार की जाती है,उसके द्वारा उक्त दरों के अनुरुप अनुबंध हस्ताक्षरित किया जावेगा। निविदादाता एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता की आपसी सहमति से अनुबन्ध अवधि आगे छः माह के लिये और बढ़ाई जा सकती है।

31. वाहन पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए निविदादाता द्वारा परिचय पत्र जारी किये जावेंगे, जिन्हे कर्मचारी कार्य के समय अपने साथ रखने के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे। कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी पहनना आवश्यक होगा। वर्दी पर परिचय पत्र इस प्रकार लगाया जावें कि कार्य करते समय दिखाई देवें जो कर्मचारी का अनुबंध कर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगें, उन्हे वर्दी उपलब्ध कराने एवं संधारण का दायित्व अनुबंधकर्ता स्वयं का होगा। वर्दी साफ सुथरी एवं प्रस्तुति योग्य होनी चाहिये।

32. अनुबंधित वाहन पर स्थायी चालक कार्यरत रहेगा। वाहन स्वामी द्वारा आकस्मिक चालक नहीं लगाया जायेगा। वाहन चालक का व्यवहार अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति पूर्ण रुपेण मर्यादित रहेगा। वह विश्वविद्यालय के नाम पर किसी भी तरह की वसूली/उगाही अथवा अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगी। ऐसा किये जाने पर विश्वविद्यालय आपराधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत होगा।

33. यदि किसी निविदादाता द्वारा अनुबंध अवधि से वाहन मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो वाहन स्वामी द्वारा जमा समस्त प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

34. संविदा अवधि में संविदा मे दोनों पक्षों निविदादाता एवं कुलसचिव के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता, तो कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

35. अनुमोदित संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निस्तारित नहीं करने, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने अथवा आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की अवस्था में जमा अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जाएगी।

36. सामान्य वित्तीय एवं लेखों नियम भाग **II** के नियम 68 के अन्तर्गत निविदा एवं संविदा की शर्तें निविदावार पर प्रभावशील होगी।

37. राजस्थान **Transparency in Public Procurement Rule 2013** के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

38. वाहन का पूर्ण विवरण यथा - 1. मेक एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर। 2. वाहन के निर्माण वर्ष। 3. वाहन चालक का नाम, पता, ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संलग्न करें। 4. रोड टैक्स। 5. फीटनेस प्रमाण पत्र। 6. इंश्योरेन्स। 7. टैक्सी परमिट आदि की प्रतियां संलग्न कर एवं वाहन टैक्सी के रूप में उपभोग हेतु अधिकृत होना चाहिए। 8. वाहन चालक को हमेशा वर्दी में रहना होगा। 9. वाहन की सीट/पर्दे आदि हमेशा अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। चालक वाहन चलाते समय एवं ड्यूटी के दौरान शराब, तम्बाकू एवं गुटखे का सेवन नहीं करेगा। मोटर वाहन अधिनियम की पूर्ण पालना का दायित्व निविदादाता का होगा।

39. वाहन की दर संविदा एक वर्ष हेतु होगी। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार वाहनों की मांग की जावेगी। इस अवधि में आप की सहमति से 6 माह हेतु वृद्धि की जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता